<u>अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-II</u>

ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादकता-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम हेतु

(पीएलआई-ऑटो अथवा 'स्कीम')

दिनांक: 22 दिसंबर, 2021

1. पीएलआई-ऑटो के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) कौन-सी है?

उत्तर: आईएफसीआई लिमिटेड (जिसका पंजीकृत और प्रधान/कॉर्पोरेट कार्यालय आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है) को इस स्कीम के लिए पीएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। पीएमए की ईमेल आईडी हैः pliauto@ifciltd.com ।

2. आवेदक स्कीम का विवरण कहां देख सकता है और ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा कर सकता है?

उत्तर: स्कीम का आधिकारिक पोर्टल हैः https://pliauto.in/ । सभी संगत जानकारी, जैसे- स्कीम संबंधी अधिसूचनाएं, दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, आवेदन-पत्र का प्रारूप और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची इस पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सभी आवेदन इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जमा किए जाने हैं। पोर्टल पर विधिवत पंजीकरण के बाद आवेदक के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र सुलभ होगा।

3. इस स्कीम की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन आमंत्रित करने वाली सूचना के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की विंडो 60 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी। आवेदन विंडो की अवधि क्या है? क्या आवेदन विंडो खुली है?

उत्तर: (i) आवेदन-पत्र और (ii) उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची के संबंध में दिनांक 09/11/2021 की अधिसूचना के पैराग्राफ 5 के अनुसार, आवेदन आमंत्रित करने संबंधी सूचना के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने वाली विंडो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि के लिए खुली रहेगी। तदनुसार, आवेदन प्राप्त करने की विंडो 11 नवंबर, 2021 से 9 जनवरी, 2022 तक भारतीय समय के अनुसार 23:59:59 बजे तक के लिए पहले से ही खुली है।

4. इस स्कीम में समूह कंपनियां शामिल हैं। यदि दो कंपनियों के कोई साझा अथवा एकाधिक व्यष्टिगत प्रमोटर हों, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी दो कंपनियों में 26% या इससे अधिक मताधिकार अथवा 50% से अधिक बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हों, तो क्या ऐसी दो कंपनियों को स्कीम के अंतर्गत समूह कंपनियां माना जा सकता है?

उत्तर: जी हां। दिशानिर्देशों के खंड 2.17 के अनुसार, ऐसी कंपनियों को स्कीम के अंतर्गत समूह कंपनियों के रूप में माना जाएगा।

5. क्या स्कीम के अंतर्गत पात्रता के लिए कंपनियों/समूह कंपनियों के व्यष्टिगत प्रमोटरों के राजस्व/निवेश/निवल मूल्य को क्रमशः वैश्विक समूह राजस्व/वैश्विक निवेश/वैश्विक निवल मूल्य के अंतर्गत माना जा सकता है?

उत्तर: जी नहीं। व्यष्टिगत प्रमोटरों के राजस्व/निवेश/निवल मूल्य को स्कीम के अंतर्गत पात्रता के लिए क्रमशः वैश्विक समूह राजस्व/वैश्विक निवेश/वैश्विक निवल मूल्य के अंतर्गत नहीं माना जाएगा क्योंकि यह स्कीम कंपनी/समूह कंपनी (कंपनियों) को मान्यता देती है, न कि व्यष्टिगत प्रवर्तक को ।

6. क्या प्रौद्योगिकी की खरीद सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौतों से संबंधित व्यय स्कीम के अंतर्गत पात्र निवेश के रूप में शामिल हैं?

उत्तर: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (दिनांक 8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-47 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (ईआर एंड डी) तथा उत्पाद डिजाइन और विकास पर पूंजीगत व्यय की अनुमति है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्कीम के अंतर्गत निवेश के प्रयोजन से, पात्र उत्पादों से संबंधित ईआर एंड डी और उत्पाद डिजाइन तथा विकास पर पूंजीगत व्यय की अनुमति दी जाएगी। यहां **"संबंधित"** शब्द का तात्पर्य विनिर्माण के लिए प्रस्तावित वस्तु की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों से है जिसमें वह सॉफ्टवेयर भी शामिल है जो उसके कामकाज का अभिन्न अंग है। इस तरह के व्यय में आंतरिक और कैप्टिव ईआर एंड डी पर व्यय शामिल होगा, जो प्रत्यक्षतः पात्र उत्पादों के कारण होता है जिसमें विनिर्माण के लिए प्रस्तावित वस्तु की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सभी चरण शामिल होते हैं [जिसमें प्रकार्य के साथ अंगर्भूत सॉफ्टवेयर भी शामिल है]। इस तरह के व्यय में परीक्षण और माप उपकरण, परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोटाइप, डिजाइन उपकरण की खरीद, सॉफ्टवेयर लागत (ईआर एंड डी के लिए प्रत्यक्षतः प्रयुक्त) और लाइसेंस शुल्क, प्रौद्योगिकी पर व्यय और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टीओटी) समझौते शामिल होंगे जिसमें प्रौद्योगिकी की खरीद, आईपीआर, ईआर एंड डी के लिए पेटेंट और कॉपीराइट, बशर्ते भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए को सभी संगत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएँ।

7. क्या इस स्कीम के अंतर्गत रॉयल्टी पर होने वाले व्यय को पात्र निवेश के रूप में शामिल किया गया है?

उत्तर: जी नहीं। रॉयल्टी पर होने वाला व्यय इस स्कीम में शामिल नहीं है।

8. क्या भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी भारी उद्योग मंत्रालय से आवेदक को अनुमोदन मिलने के बाद अनुमोदन प्रक्रिया का पालन करेगी अथवा अनुमोदन-पूर्व चरण में?

उत्तर: अनुमोदित आवेदक (अर्थात् स्कीम के अंतर्गत अनुमोदन-पत्र की प्राप्ति के उपरान्त) भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी के साथ अनुमोदित पात्र उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के रूप में अपने उत्पादों के पंजीकरण/अनुमोदन के लिए निरंतर आधार पर आवेदन करेगा।

9. क्या स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित एएटी उत्पादों के चयन के मामले में आवेदकों पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तर: चैंपियन ओईएम स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक के पास किसी भी संख्या में अनुमेय एएटी वाहन उत्पादों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने का विकल्प होगा। इसी तरह, घटक चैंपियन स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक के पास किसी भी संख्या में अनुमेय एएटी घटक उत्पादों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने का विकल्प होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना होगा कि प्रति समग्र समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए कुल प्रोत्साहन ₹ 6,485 करोड़ (इस स्कीम के अंतर्गत कुल प्रोत्साहन परिव्यय का 25%) तक सीमित है।

10. अधिसूचित आवेदन-पत्र के अनुसार, आवेदकों को स्कीम की अवधि के दौरान निर्मित होने वाले एएटी उत्पादों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। क्या चयनित एएटी उत्पाद भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए द्वारा जारी किए जाने वाले अनुमोदन-पत्र का हिस्सा होंगे?

उत्तर: एएटी उत्पादों के संबंध में आवेदन-पत्र में मांगी गई जानकारी केवल सांकेतिक है। भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए द्वारा जारी किए जाने वाले अनुमोदन-पत्र में एएटी उत्पादों का कोई उल्लेख नहीं होगा। अनुमोदित होते ही आवेदक भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए को सूचित करते हुए किसी भी समय अपने चयनित एएटी उत्पादों को बदल सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्कीम के अंतर्गत आवेदक के अनुमोदन/चयन के बाद, अनुमोदित आवेदक इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के रूप में अपने उत्पादों के पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। पात्र उत्पाद का पूर्वानुमोदन भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा एएटी उत्पाद के रूप में किया जाएगा। न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। आवेदक निरंतर आधार पर नए एएटी उत्पादों के लिए परीक्षण एजेंसी के पास पंजीकरण करा सकता है।

11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (दिनांक 8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-11 के संदर्भ में, चैंपियन ओईएम स्कीम (दुपहिये और तिपहिये को छोड़कर तथा दुपहिये और तिपहिये सहित) और घटक चैंपियन स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाली मौजूदा ऑटोमोटिव विनिर्माण कंपनी के लिए संचयी नए घरेलू निवेश और विनिश्चित बिक्री मूल्य की न्यूनतम सीमा क्या होगी?

उत्तर: चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम और घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम दोनों के अंतर्गत आवेदन करने वाली मौजूदा ऑटोमोटिव विनिर्माण कंपनी (ईएएमसी) को चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम के लिए 2,000 करोड़ रुपये **और** घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के लिए 250 करोड़ रुपये की न्यूनतम संचयी घरेलू निवेश यानी 31 मार्च, 2027 तक कुल मिलाकर ₹2,250 करोड़ की शर्त पूरी करनी होगी।

चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम और घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम-- दोनों के अंतर्गत आवेदन करने वाली मौजूदा ऑटोमोटिव विनिर्माता कंपनी को प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22) में चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम के लिए 125 करोड़ रुपये **और** घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपये का न्यूनतम प्रारंभिक विनिश्चित बिक्री मूल्य प्राप्त करना होगा।

12. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (दिनांक 8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-11 संदर्भ में, चैंपियन ओईएम स्कीम और घटक चैंपियन स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाली नई ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी के लिए संचयी नए घरेलू निवेश और विनिश्चित बिक्री मूल्य की न्यूनतम प्रारंभिक सीमा क्या होगी?

उत्तर: चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम और घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम-- दोनों के अंतर्गत आवेदन करने वाली गैर-ऑटोमोटिव नई निवेशक कंपनी (एनएनआईसी) को चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम के लिए 2,000 करोड़ रुपये **और** घटक चैंपियन प्रोत्साहन के लिए 500 करोड़ रुपये अर्थात् 31 मार्च 2027 तक कुल मिलाकर ₹2,500 करोड़ की न्यूनतम संचयी घरेलू निवेश शर्त पूरी करनी होगी ।

चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम और घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम-- दोनों के अंतर्गत आवेदन करने वाली नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी को प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22) में चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम के लिए 125 करोड़ रुपये **और** घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के लिए विनिश्चित बिक्री मूल्य की 25 करोड़ रुपये की न्यूनतम प्रारंभिक सीमा पूरी करनी होगी।

13. क्या न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्त प्रति उत्पाद या सभी एएटी उत्पादों के लिए समेकित स्तर पर लागू है?

उत्तर: स्कीम की अवधि के दौरान आवेदक की पात्रता के लिए न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्त लागू है और स्कीम के पैरा 3.2 (ग) में तालिका के अनुसार इसका परीक्षण किया जाएगा। साथ ही, दिशानिर्देशों के पैरा 2.19 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत **पात्र उत्पादों** के लिए निवेश किया जाना है। तदनुसार, नए घरेलू निवेश के आकलन के लिए **समेकित स्तर पर** पात्र उत्पादों के लिए किए गए निवेश पर विचार किया जाएगा।

14. क्या प्रारंभिक (थ्रेशहोल्ड) विनिश्चित बिक्री मूल्य शर्त प्रति उत्पाद लागू है या सभी एएटी उत्पादों के लिए समेकित स्तर पर लागू है?

उत्तर: प्रारंभिक विनिश्चित बिक्री मूल्य शर्त की जांच आवेदक के सभी अनुमोदित पात्र एएटी उत्पादों (अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा अनुमोदित न्यूनतम 50% डीवीए वाले उत्पाद) में बिक्री के समेकन के बाद की जाएगी। इसके साथ उपर्युक्त प्रश्न-11 और प्रश्न-12 के अनुसार, आवेदक को प्रथम वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22) में चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन स्कीम के लिए ₹125 करोड़ और घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य की ₹25 करोड़ की न्यूनतम प्रारंभिक सीमा को पूरा करना होगा। हालांकि, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (08 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-12 के अनुसार, घटक स्तर और वाहन स्तर के अंतर्गत समान एएटी उत्पाद के लिए प्रोत्साहन हेतु दोहरा दावा किए जाने की स्थिति में, इसे आधार बनाकर विधिक इकाई को अयोग्य करार दिया जा सकता है।

15. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (दिनांक 8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-12 के अनुसार, किसी भी उत्पाद के लिए केवल एक बार प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस एकल प्रोत्साहन के लिए तंत्र कैसे काम करेगा?

उत्तर: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (दिनांक 8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-12 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत किसी भी पात्र उत्पाद को केवल एक बार प्रोत्साहन दिया जाएगा। घटक स्तर और वाहन स्तर के अंतर्गत एक ही उत्पाद के लिए प्रोत्साहन का किसी भी दोहरे दावे मात्र के आधार पर विधिक इकाई को अयोग्य ठहराए जाने का आधार बन सकता है और विधि के अंतर्गत अनुप्रयोज्य अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा अनुमोदन के बाद, सभी अनुमोदित आवेदकों की सूची उनके अनुमोदित पात्र एएटी उत्पादों के साथ भारी उद्योग मंत्रालय के पोर्टल और स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। सभी आवेदकों को यह जांचना आवश्यक है कि उनके किसी आपूर्तिकर्ता को पीएलआई स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है अथवा नहीं और यदि ऐसा है, तो यह निर्धारित करना आवेदक का दायित्व होगा कि ऐसा कोई आपूर्तिकर्ता किसी विशिष्ट अवधि के लिए स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए दावा करेगा अथवा नहीं। यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि वह उस इनपुट/कच्चे माल/घटकों आदि से संबंधित राशि की कटौती सुनिश्चित करे जिसके लिए उनके आपूर्तिकर्ता या स्वयं आवेदक (अनुमोदित पात्र एएटी उत्पादों के विनिर्माण के लिए कैप्टिव खपत के मामले में) प्रोत्साहन के लिए दावा कर रहा हो।

16. आवेदन-पत्र के खंड 2.1 के संदर्भ में, जहां मुख्य आवेदक मूल कंपनी है और अनुषंगी के नाम को आवेदन में संयुक्त आवेदक के रूप में जोड़ा गया हो, वहां अनुषंगी कंपनी द्‌वारा की गई बिक्री के लिए प्रोत्साहन किसे प्राप्त होगा?

उत्तर: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-48 के अनुसार, यदि कोई मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी-- दोनों ऑटोमोबिइल और/या ऑटो घटकों के व्यवसाय के निर्माण में हों और मूल कंपनी अनुषंगी कंपनी के विवरण के साथ संयुक्त रूप से स्कीम के अंतर्गत आवेदन करे (लेकिन अनुषंगी कंपनी ने स्कीम के अंतर्गत अलग से आवेदन न किया हो), तो अनुषंगी कंपनी द्‌वारा निर्मित अनुमोदित पात्र उत्पादों की बिक्री को स्कीम के अंतर्गत मूल कंपनी के निर्धारित बिक्री मूल्य में माना जाएगा। तदनुसार, प्रोत्साहन मूल कंपनी को ही प्राप्त होगा।

17. कंपनी पात्र एएटी वाहनों के उत्पादन हेतु निवेश करने के लिए मूल्यांकन कर रही है। जहां तक हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल की बात है, नई और विकासशील तकनीक होने के कारण हाइड्रोजन ईंधनचालित वाहन विनिर्माण की सुविधा शुरु होने के 5 साल बाद ही ऐसे वाहनों की बिक्री हो सकने की संभावना है। इस परिप्रेक्ष्य में, यदि यह माना जाए कि प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम निर्धारित बिक्री मूल्य अन्य पात्र एएटी उत्पादों (हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के अलावा) की बिक्री के माध्यम से प्राप्त किया जाए, तो हम समझते हैं कि 01/04/2021 को या उसके बाद हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के उत्पादन के लिए निवेश और कंपनी के बही-खातों में पूंजीकृत को पीएलआई स्कीम के अंतर्गत निवेश के लिए पात्रता माना जाएगा। कृपया पुष्टि करें।

उत्तर: दिनांक 23/09/2021 के दिशा-निर्देश के पैरा 2.19 के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत पात्र उत्पादों के लिए निवेश करना होगा। तदनुसार, नए घरेलू निवेश के आकलन के लिए पात्र उत्पादों हेतु किए गए निवेश पर विचार किया जाएगा।

18. क्या समूह कंपनियों के भीतर परिसंपत्ति की खरीद के लिए निवेश को निवेश माना जाएगा यानी क्या न्यूनित बिक्री या किसी अन्य पुनर्संरचना के कारण किसी अन्य कंपनी का निवेश इस स्कीम के अंतर्गत निवेश के लिए अर्ह होगा? क्या पुरानी मशीनरी में निवेश को स्कीम में शामिल किया गया है?

उत्तर: दिनांक 23.09.2021 की स्कीम अधिसूचना के पैराग्राफ 3.2ग और 4.2 के अनुसार, आवेदक को संचयी नए घरेलू निवेश की शर्त को पूरा करना होगा। तदनुसार, संचयी नए घरेलू निवेश की गणना के लिए न्यूनित बिक्री/पुरानी मशीनरी पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-60 के संदर्भ में, क्या ऐसे पीएलआई-ऑटो के लिए प्रोत्साहन अनुप्रयोज्य है जो पीएलआई-ऑटो और एफएएमई-।। दोनों स्कीमों पर निर्भर हो?

उत्तरः नहीं। ऑटोमोबिल और ऑटो घटक (पीएलआई-ऑटो) संबंधी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत लागू प्रोत्साहन पूरी तरह से इसकी स्कीम और दिनांक 23 सितंबर, 2021 के दिशानिर्देशों से शासित है। किसी भी पात्र एएटी उत्पाद की बिक्री के साथ न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी।

बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) के निष्पादन मानदंड और सदृश चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के लिए यह स्कीम फेम-।। के संदर्भ में है। दिनांक 25 जून, 2021 की

अधिसूचना सं. सां.आ. 2526(अ) के माध्यम से, फेम-।। स्कीम को 31 मार्च, 2024 तक के लिए विस्तारित किया गया है।

बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निष्पादन मानदंड को फेम-।। स्कीम द्वारा अथवा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथाअनुसूचित अनुसार शासित किया जाएगा। चूंकि फेम-।। स्कीम को विस्तार दिया गया है, अतः बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निष्पादन मानदंड को फेम-।। स्कीम के अनुसार रखा गया है और इसे भारी उद्योग मंत्रालय ने स्कीम के प्रयोजन से अलग से अधिसूचित नहीं किया है।

फेम-।। स्कीम में, केवल वही बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं जो मानदंडों को पूरा करते हों। पीएलआई ऑटो के अंतर्गत एएटी उत्पादों की सूची में बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन और उसके घटक शामिल हैं। पीएलआई ऑटो स्कीम के अंतर्गत केवल उन पात्र एएटी उत्पादों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है जिनके लिए न्यूनतम 50% डीवीए हासिल किया गया हो। साथ ही, अनुमान है कि इस स्कीम की अवधि के दौरान डीवीए धीरे-धीरे बढ़कर 50% से अधिक हो जाएगा। इस स्कीम में बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा अन्य एएटी उत्पाद भी शामिल हैं। कुछ चुनौतीपूर्ण एएटी उत्पादों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की आवश्यकता हो सकती है। पीएमपी को आवश्यकता के आधार पर जारी किया जाएगा। अन्य पीएलआई स्कीमों, जैसे- पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी), स्पेशिएलिटी स्टील आदि से भी ऑटोमोबिइल और ऑटो घटकों के लिए उच्च डीवीए प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

20. स्कीम के प्रक्रियात्मक पहलुओं की बेहतर समझ के लिए, क्या इसे विभिन्न चरणों के फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाया जा सकता है?

उत्तर: स्कीम का सांकेतिक चरण-वार प्रक्रियात्मक फ्लो चार्ट नीचे प्रस्तुत किया गया है:

<u>पीएलआई-ऑटो के लिए चरण-वार सांकेतिक प्रक्रियात्मक फ्लो चार्ट</u>

चरण-I: आवेदन प्रस्तुति, मूल्यांकन और आवेदकों को अनुमोदन

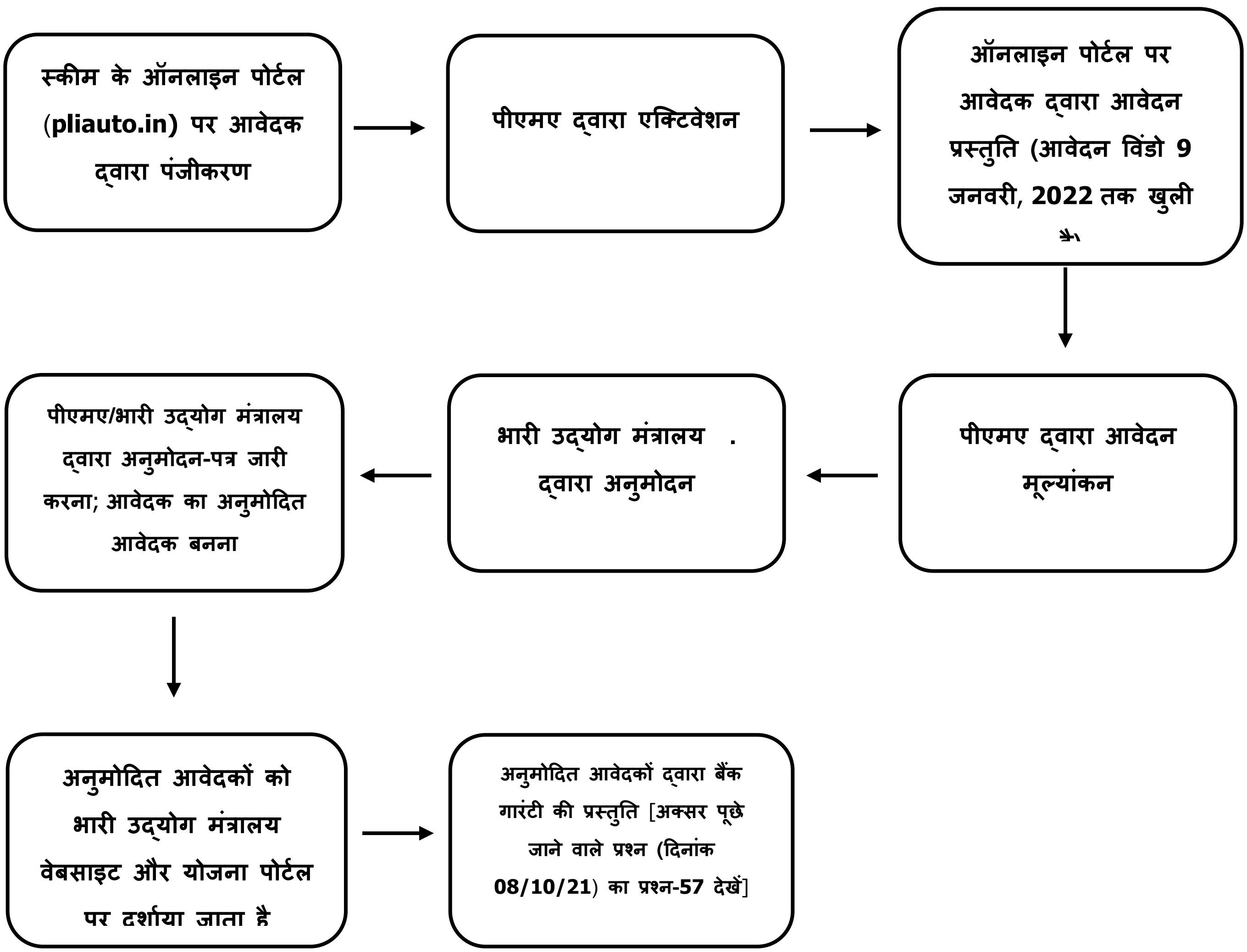

चरण - II: स्कीम का प्रचालन

क. भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी (टीए) द्वारा पात्र उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों का अनुमोदन

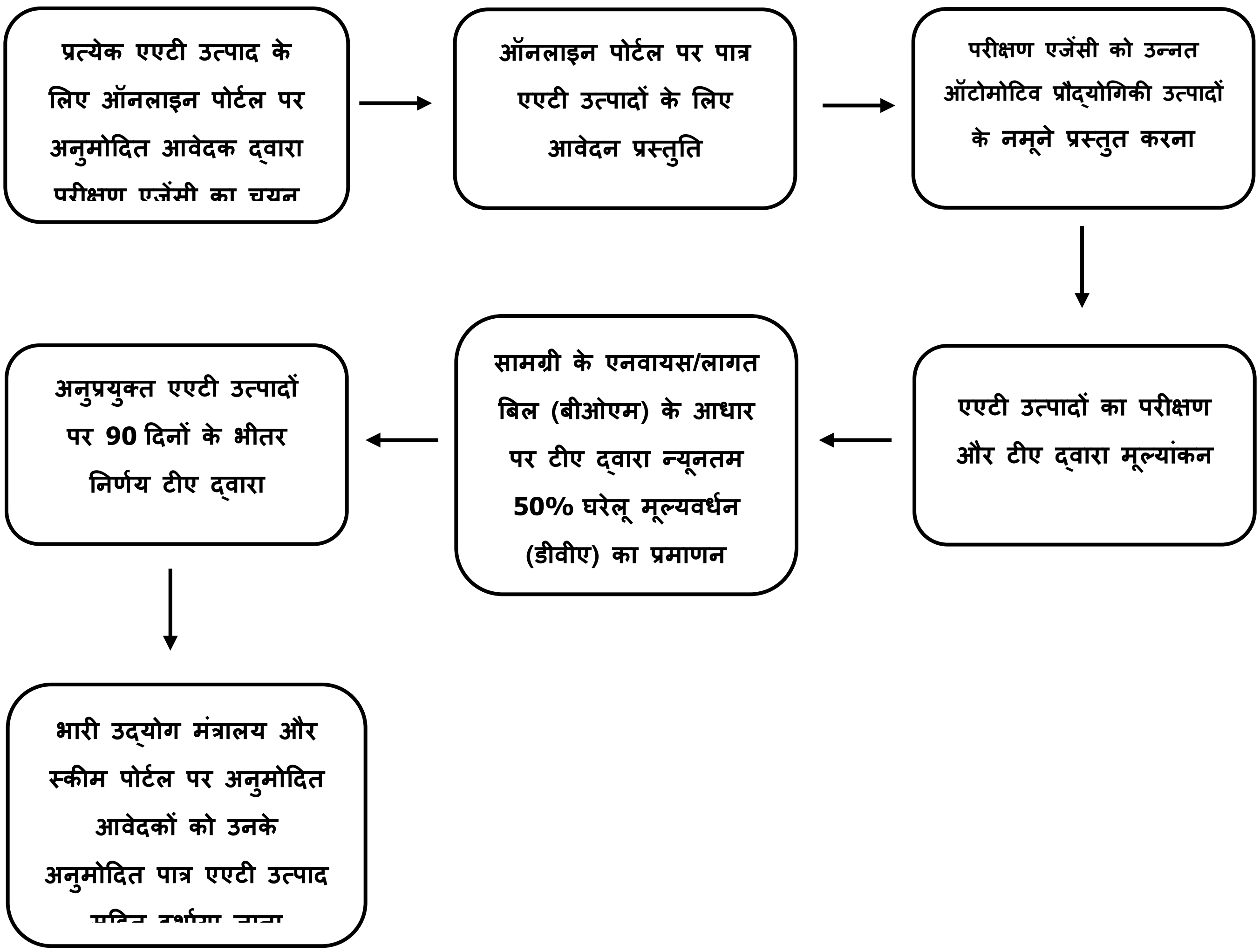

ख. अनुमोदित आवेदकों का तिमाही निष्पादन

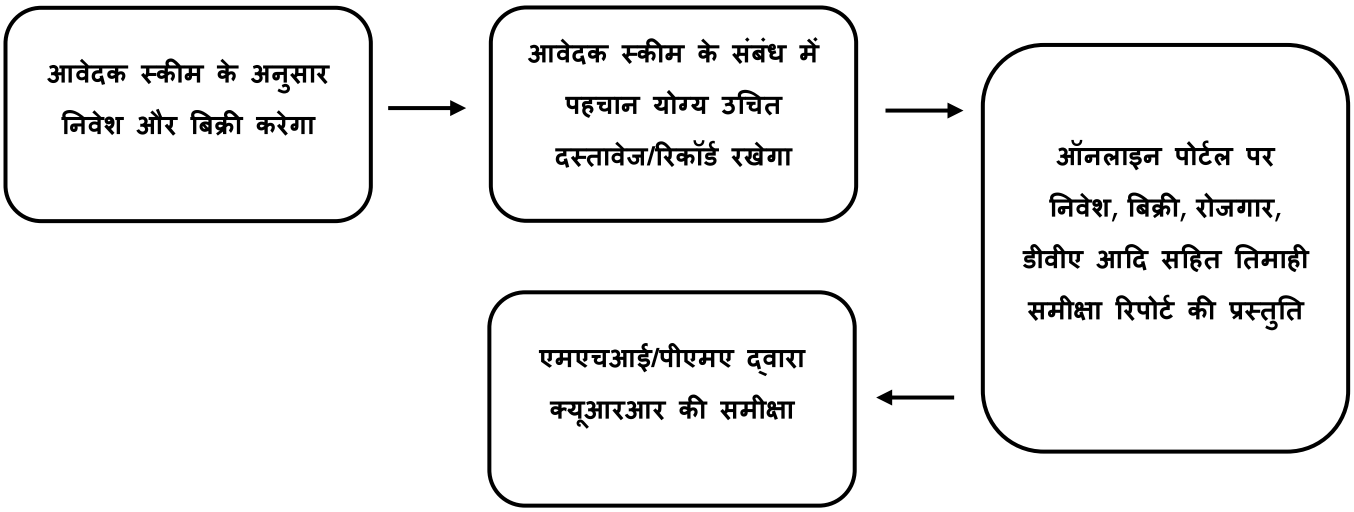

ग. बेसलाइन निर्धारण

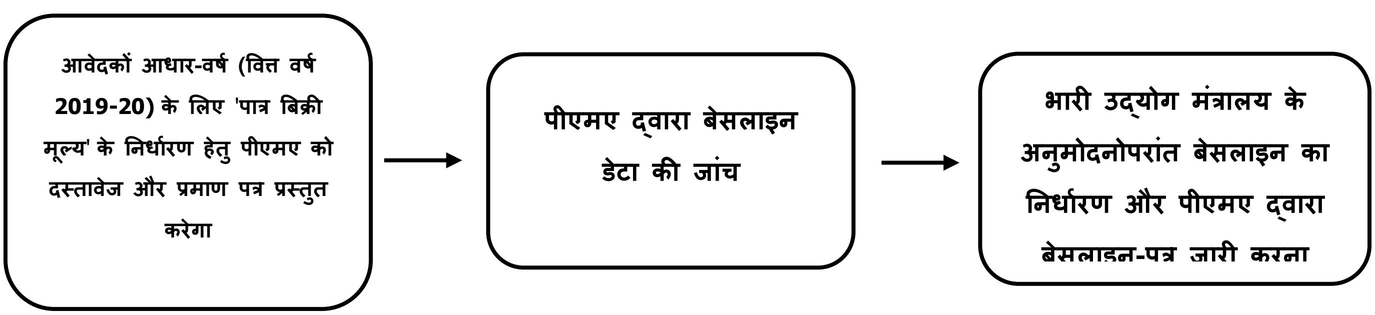

चरण- III: प्रोत्साहन मांग प्रस्तुति और संवितरण

प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के साथ प्रोत्साहन दावा प्रस्तुति

अनुमोदित आवेदक द्वारा "कोई दावा नहीं" अथवा इसकी समूह कंपनियों के मामले में "अन्य अनुमोदित आवेदकों द्वारा किए गए दावे की कटौती" अथवा घटक चैम्पियन के लिए वचनबंध की प्रस्तुति ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी उत्पाद के लिए स्कीम में केवल एक प्रोत्साहन ही मिले

स्वीकृत आवेदकों द्वारा एएटी उत्पादों की आंतरिक खपत घोषणा की प्रस्तुति, यदि कोई हो

नई घरेलू निवेश शर्त और प्रारंभिक 'विनिश्चित बिक्री मूल्य' की सीमा का सत्यापन पीएमए करेगा

पीएमए से भारी उद्योग मंत्रालय को संस्वीकृति/संवितरण सिफारिशों की प्रस्तति

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संस्वीकृति

अनुमोदित आवेदक को पीएमए द्वारा संवितरण

21. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-57 के संदर्भ में, बैंक गारंटी और संबंधित वचनबंधों का प्रारूप क्या होगा?

उत्तर: क) बैंक गारंटी और ख) बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए वचनबंध का प्रारूप नीचे दिया गया है:

क) **<u>बैंक गारंटी</u>**

(किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से)

गारंटी का यह विलेख ___________, 20 की __________ तारीख़ को (किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से) पर निष्पादित किया गया है, जिसका प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय ___________________ में है और अन्य के साथ ___________________________ में भी एक शाखा कार्यालय है (एतदुपरांत बैंक अथवा 'गारंटीदाता' के रूप में संदर्भित, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशितियों को उसमें शामिल समझा जाएगा,बशर्ते यह अभिव्यक्ति विषय अथवा परिप्रेक्ष्य से अन्यथा असंगत न हो)।

के पक्ष में

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110011 (एतदुपरांत भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में संदर्भित) जिसका प्रतिनिधित्व आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 में है, जो ऑटोमोबिल के उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य कर रहा है।

जबकि

क. [..........................], कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के दायरे में एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय [----------------] (एतदुपरांत 'आवेदक' के रूप में संदर्भित, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि वह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं) में है,

को उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत दिनांक ---------- के पत्र संदर्भ --------------------द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

ख. दिनांक --------------- के वचनबंध और प्रश्न संख्या-57 और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (दिनांक 8 अक्टूबर, 2021) के संदर्भ में आवेदक को ₹ ---------------- (.....................रुपये) के बराबर की राशि की बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी जिसकी गणना वचनबंध के अनुरूप की जाएगी।

ग. आवेदक के अनुरोध पर, गारंटीदाता यह गारंटी प्रदान करने पर निम्नांकित की उपस्थिति में सहमत हो गया है जिसमें आवेदक ने अपने दायित्वों के उचित और समयनिष्ठ निष्पादन/निर्वहन की गारंटी दी है।

अतः, अब यह विलेख यह प्रमाणित करता है:

ऊ. गारंटर एतद्द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित उक्त उपक्रम और अनुमोदन पत्र के तहत आवेदक द्वारा अपने सभी दायित्वों और शर्तों के अनुपालन की गारंटी देता है**;**

ख. गारंटीदाता**,** बिना किसी आपत्ति के**,** भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए को कुल रु. --------------- (रुपये -------------------) से अनधिक का पांच (5) बैंक कार्य दिवसों के भीतर (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार) भारी उद्योग मंत्रालय / पीएमए से एक लिखित मांग प्राप्त होने पर भुगतान करेगा जिसमें उल्लेख हो कि आवेदक उक्त वचन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। गारंटीदाता आवेदक की ओर से किसी भी उल्लंघन या विफलता की सत्यता या भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए द्वारा की गई मांग की वैधता पर विचार नहीं करेगा, बल्कि इसके विपरीत, दिए गए किसी भी निर्देश या किसी आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाये गये किसी भी विवाद के बावजूद मांग में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा। इसके तहत गारंटीदाता के दायित्व तब तक बने रहेंगे जब तक ऐसी सभी मांगें विधिवत पूरी नहीं हो जातीं और इसके प्रावधानों के अनुसार निर्वहन नहीं कर लिया जाता**;**

ग. गारंटीदाता इस बात से सहमत है कि इस गारंटी के तहत उसकी देयता किसी भी तरह से इस तरह के बदलाव**,** परिवर्तन**,** संशोधन**,** छूट वितरण से प्रभावित नहीं होगी और इस तरह के किसी भी बदलाव**,** परिवर्तन**,** संशोधन**,** छूट वितरण को प्रभावी करने के लिए अथवा प्रतिभूति जारी करने के लिए गारंटीदाता की सहमति आवश्यक नहीं होगी।

घ. यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और 31/03/2029 तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगी**;**

ङ. जब तक उक्त वचनबंध के प्रावधानों के अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए द्वारा पहले डिस्चार्ज/रिलीज नहीं किया जाता, तब तक गारंटीदाता की कुल देनदारी __________ रुपये (---------------------- रूपए) की राशि तक सीमित रहेगी।

च. यह गारंटी संविधान में किसी भी बदलाव या आवेदक/गारंटीदाता के समापन या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आवेदक/गारंटीदाता के आमेलन, विलय या समामेलन से प्रभावित नहीं होगी;

छ. गारंटीदाता के पास इस गारंटी को जारी करने और यहां पर विचार किए गए दायित्वों का निर्वहन करने की शक्ति होगी, और अधोहस्ताक्षरी को इस गारंटी के तहत दी गई शक्ति के अनुसार निष्पादित करने के लिए विधिवत प्राधिकार होगा।

इस गारंटी के संदर्भ में सभी भावी पत्राचार.. (बैंक का नाम और पता) को किया जाएगा।

इस गारंटी का क्षेत्राधिकार नई दिल्ली के न्यायालय होंगे और भारतीय कानून लागू होंगे।

इस बात के प्रमाण में कि गारंटर ने यहां ऊपर लिखे दिन, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किया है

__________________________बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और अपने--------------------- तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त।

ख)

बैंक गारंटी प्रदान करने का वचनबंध

(आवेदक से उसके लेटरहेड पर)

1. हम .... एतदद्वारा स्वीकार करते हैं कि हमें भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (ii) के अंतर्गत भारी उद्योग मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना सीजी-डीएल-ई-

23092021-229899, संख्या 3612, दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भाग-II में अधिसूचित उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम, अन्य प्रासंगिक दिशानिर्देशों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू), समय-समय पर किए गए पत्राचारों के तहत ऑटोमोबिल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग (पीएलआई-ऑटो या 'स्कीम') के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाए/किया जा सकता है जो प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर और उस पर विश्वास के आधार पर होगा।

2. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है और ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना को छिपाया नहीं गया है, जो उक्त प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो।

3. हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि अनुमोदन पत्र के अनुसार यथाअनुप्रयोज्य परियोजना में न्यूनतम संचयी नया घरेलू निवेश हमारे द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाएगा और हम अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (संदर्भः8 अक्टूबर, 2021) के प्रश्न-57 में निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे।

4. उपर्युक्त लेन-देन के संबंध में, हम एतद्द्वारा निम्नलिखित का वचन देते हैं:

क. हम नीचे उल्लिखित राशि के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने का वचन देते हैं:

क्र. सं.	**विवरण**	**विवरण**
1.	अनुमोदन पत्र जारी करने की तिथि	
2.	बैंक गारंटी की वैधता अवधि	31/03/2029 तक
3.	लागू योजनाएं:	
3क.	चैंपियन ओईएम स्कीम	5 करोड़ रुपये
3ख .	घटक चैंपियन स्कीम	1 करोड़ रुपये
3ग.	दोनों स्कीम	6 करोड़ रुपये

ख. मूल बैंक गारंटी (पीएमए में आयोजित भारी उद्योग मंत्रालय/पीएमए के पक्ष में) के संबंध में नुकसान, विकृति, अप्रत्याशित घटना या किसी अन्य घटना की स्थिति में, भारी उद्योग मंत्रालय / पीएमए इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और मूल बीजी के स्थान पर वैकल्पिक/डुप्लिकेट बीजी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी होगी।

ग. हम यह भी समझते हैं कि स्कीम पूरी होने और/या वैधता अवधि पूरी होने पर हमें बैंक गारंटी जारी की जाएगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम (पता सहित):

दिनांक:

स्थान :

***